न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार RAS

राजस्व अपील संख्या :– 23/2024

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट्स**
1. विमला देवी पत्नी श्री किशनाराम जाति सरगरा निवासी ग्राम कांकाणी तहसील लूणी, जिला जोधपुर		1. भंवरी देवी पुत्री श्री नारायणराम जाति मेघवाल निवासी एम्पों का बास, ग्राम नन्दवान तहसील लूणी, जिला जोधपुर। 2. ग्राम पंचायत नन्दवान जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत नन्दवान, पंचायत समिति लूणी जोधपुर।

— — —

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बरखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 2259 दिनांक 14.02.2024 जो सरपंच ग्राम पंचायत नन्दवान द्वारा स्वीकृत किया जाकर ग्राम नन्दवान पटवार हल्का नन्दवान तहसील लूणी के खसरा संख्या 522 रकबा 25.3657 हैक्टेयर में स्व. श्रीमती हपली पत्नी श्री नारायण के 1/6 हिस्से का फौतेदगी नामान्तरकरण रेस्पोन्टेंट संख्या 1 के नाम गलत रूप से स्वीकृत किया।

उपस्थिति : –

1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता धनराज चौधरी, अनिल राठी।
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से प्रेमकुमार देवड़ा उपस्थित।

दिनांक :– **16.02.2026**

– :: निर्णय :: –

1. अपीलान्ट द्वारा एक नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की नामान्तरकरण संख्या 2259 दिनांक 14.02.2024 जो सरपंच ग्राम पंचायत नन्दवान द्वारा स्वीकृत किया जाकर ग्राम नन्दवान पटवार हल्का नन्दवान तहसील लूणी के खसरा संख्या 522 रकबा 25.3657 हैक्टेयर में स्व. श्रीमती हपली पत्नी श्री नारायण के 1/6 हिस्से का फौतेदगी नामान्तरकरण रेस्पोन्टेंट संख्या 1 के नाम गलत रूप से स्वीकृत किया के विरूद्ध पेश की गई।

2. अपील का संक्षिप्त तथा सारवान तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की खरीदसुदा कब्जासुदा, उपयोग उपभोग व आधिपत्य की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 522 रकबा 29 बीघा 02 बिस्वा 10 बिस्वासी ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी में आई हुई है। उक्त भूमि पूर्व में हपली देवी व तीलाराम जाति मेघवाल, निवासी ग्राम नन्दवान, तहसील लूगी, के खातेदारी व कब्जा–कास्त की कृषि भूमि थी और उनका नाम राजस्व रेकर्ड में बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज था। कालान्तर में उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 522

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हपली रिस्पोडेंट संख्या की माता) व तीलाराम ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की उक्त कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 522 में से हपली ने अपनी खातेदारी की अपने हिस्से की सपूर्ण कृषि भूमि रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं तीलाराम ने अपनी हिस्से की भूमि में से रकबा 3 बीघा को अपीलांट विमला देवी को विधिवत व विधिनुसार जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख द्वारा विक्रय कर दी उप–पंजीयक लूणी के द्वारा दिनांक 21.07.2022 को पंजीबद्ध किया गया। और अपनी इस कृषि भूमि का कब्जा वास्तविक व भौतिक रूप से अपीलांट को सुपुर्द कर दिया, उवक्त खरीद से अपीलाट अपनी खरीदसुदा इस कृषि भूमि खसरा संख्या 522 रकबा 29 पौधा 02 बिस्वा 10 बिस्वांसी पर बहैसियत मालिक काबिज हुई और इसका उपयोग उपभोग करने लगी।

3. रेस्पोन्डेंट संख्या 01 ने गलत रूप से, सुस्पष्ट विधि के विपरीत जाकर एवं गलत रूप से अपीलांट की खरीदसुदा भूमि खसरा संख्या 522 में पूर्व खातेदार स्व. श्रीमती हपली के 1/6 हिस्से का उसके स्वर्गवास के पश्चात् अपने नाम फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 2259 दिनांक 14.02. 2024 को दर्ज करवा दिया, जो किसी भी रूप में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था और न है। लिहाजा अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की यह अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोन्डेंट संख्या 02 सरपंच ग्राम पंचायत नन्दवान द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2259 दिनांक 14.02. 2024 को निरस्त व मन्सुख किया जावे एवं अपीलांट के नाम कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 522 में स्व. श्रीमती हपली के 1/6 हिस्से यानि रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा 10 बिस्वांसी ग्राम नन्दवान पटवार क्षेत्र नन्दवान, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर का नामान्तरकरण स्वीकृत किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

4. अपीलान्ट द्वारा अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का भी पेश कर अपील पेश करने हुई देरी को क्षमा कर अपील म्याद अन्दर शुमार किये जाने का निवेदन किया है।

5. धारा 5 म्याद अधिनियम को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण को कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को नोटीस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की और से अधिवक्ता प्रेमकुमार देवड़ा द्वारा वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 को अनेका अवसर देने के उपरान्त भी व अधिवक्ता द्वारा अपील में अपना जवाब पेश नहीं किया।

6. अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील के संलग्न फॉर्म3 के संलग्न नामान्तरकरण प्रपत्र ग्राम नन्दवान, फौतेदगी नामान्तरकरण प्रार्थना पत्र की प्रति, बेचाननामा हपली व अन्य बहक विमला देवी दिनांक 13.07.2022 तथा जमाबंदी ग्राम नन्दवान के खसरा नंबर 522 की पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली की गई है।

7. पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया। रेस्पाटेडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट की अपील का कोई जवाब पेश नहीं तथा न ही बहस की गई।

8. अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन से अपीलांट की खरीदसुदा भूमि खसरा संख्या 522 में पूर्व खातेदार स्व. श्रीमती हपली के 1/6 हिस्से का उसके स्वर्गवास के पश्चात् अपने नाम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 2259 दिनांक 14.02.2024 को दर्ज करवा दिया जबकि भूमि अपीलांट को रजिस्टर्ड बेचाननामा से बेचान की जा चुकी थी। निवेदन है कि अपीलांट की यह अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोन्डेंट संख्या 02 सरपंच ग्राम पंचायत नन्दवान द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2259 दिनांक 14.02.2024 को निरस्त व मन्सुख किया जावे एवं अपीलांट के नाम कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 522 में स्व. श्रीमती हपली के 1/6 हिस्से यानि रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा 10 बिस्वांसी ग्राम नन्दवान तहसील लूणी, का नामान्तरकरण स्वीकृत किए जाने का आदेश फरमाया जावे। अपीलान्ट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का अपील पेश करने हेतु हुई देरी के लिए कंडोन किया जाता है। अपीलान्ट की अपील न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

9. अतः अपीलान्ट द्वारा पेश नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, स्वीकार की जाती है तथा अपीलांट की खरीदसुदा भूमि खसरा संख्या 522 पूर्व खातेदार स्व. श्रीमती हपली के 1/6 हिस्से का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 2259 दिनांक 14.02.20024 को निरस्त किया जाता है एवं अपीलांट के नाम कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 522 में स्व. श्रीमती हपली के 1/6 हिस्से यानि रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा 10 बिस्वांसी ग्राम नन्दवान तहसील लूणी, का नामान्तरकरण पंजीकृत बेचाननामे के आधार पर नियमानुसार दर्ज किए जाने के तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हंसमुख कुमार RAS)

सहायक ~~सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी~~री लूणी

लूणी